दूरभाष/STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C. 246330 (O), 245209 (R)
Registrar 245957 (O), 246042 (R)
F.O. 246386 (O), 225958 (R)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक /Ref. : लो.अ.वि./सम्ब./3030/2008 दिनाँक/Date : 16-06-2008

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पी.एल. मेमोरियल डिग्री कालेज,
बाराबंकी।

महोदय,

कुलाधिपति के अनुसचिव के पत्र संख्या-ई.सं.1038/जी.एस. दिनांक-31-07-2006 द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड.पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक-01-07-2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-16-06-2008 के क्रम में उक्त पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

आवश्यक

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2011/2922 दिनांक : 24 अक्टूबर, 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पी0 एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज,
बाराबंकी।

विषय : महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन हेतु सम्बद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्व0 2231/सत्तर-6-2010-2(84)/2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री0 पी0 एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज, बाराबंकी को परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम0एड0 पाठ्यक्रम मे 25 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2009-10 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2010 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

2 संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशो एव इस विषय मे समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।

2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा एमएड0 पाठयक्रम मे शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एव अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने वाली विश्वविद्यालयीय प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एव काउसलिग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियो के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार शैक्षिक दिवसों मे पठन-पाठन कराया जायेगा।

3 संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें एव निर्देशो का अनुपालन करेगी; यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।

4 यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एव विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5 महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशो का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नही किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति मे सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय
(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपि
1 सचिव उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या सम्व0 2231/सत्तर-6-2010-2(84)/2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2 निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

आवश्यक

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2013 / 5024 दिनांक : 05/2/. 2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री पी0एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज,
बाराबंकी।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में सम्बद्वता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : सम्ब0 418 / सत्तर–6–2012–2(335) / 2012 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के अधीन श्री पी0एल0 मेमोरियल डिग्री कालेज, बाराबंकी को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक शर्त 2011–12 के सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01.07.2012 से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्वता प्रदान की जाती है –

1. संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुंसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय / संस्था द्वारा स्नातक स्तर पर उक्त विषयों मे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों / विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नियमानुसार भरा जायेगा तथा उ0प्र0 शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था उ0प्र0 शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण करना तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नही किया जायेगा। उल्लंधन की स्थिति में सम्बद्वता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।
6. महाविद्यालय केवल शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विद्यार्थियों से प्राप्त करेंगे।
7. महाविद्यालय प्रवेश के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा इस विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
8. महाविद्यालय स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं करेगा। स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने पर महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही के साथ–साथ महाविद्यालय के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
9. महाविद्यालय परिसर को रैगिंग मुक्त रखेंगे।

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल) 5.2.2013
कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा नियन्त्रक।
2. वित्त अधिकारी।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव